"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2002—पौष 7, शक 1924

गृह विभाग

(सी–अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसंबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4/81/गृह (सी)/2002.—चूंकि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्वों के सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रयास डालने वाले कोई कार्य करने एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाने की संभावना है.

और चूंकि जिला मजिस्ट्रेट, कांकेर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 सं. 65) की धारा 3 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि जिला मजिस्ट्रेट, कांकेर को उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 1 जनवरी, 2003 से 31 मार्च, 2003 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे.

Raipur, the 24th December 2002

NOTIFICATION

No. F-4/81/HOME (C)/2002.—Whereas, there are reports with the State Government that certain elements are active and are likely to be active to threaten the communal harmony and to commit any act prejudicial to the maintenance of public order, and to commit acts prejudicial to the security of the State.

AND WHEREAS, having regard to the circumstances prevailing in the areas within the local limits of Jurisdiction of the District Magistrate, KANKER the State Government is satisfied that it is necessary so to do.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of Section 3 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby directs that the District Magistrate, KANKER may during the period from 1st January, 2003 to 31st March, 2003, if satisfied as provided in Sub-section (2) of the said Section exercise the powers conferred by Sub-section (2) of the said Section 3.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.